



2026:AHC:65530

24.03.2026 को सुरक्षित

30.03.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं - 1233 वर्ष 2026

राम आशीष याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 20 अन्य उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: प्रतीक शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या-1 से 4 के स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रतिपक्षी संख्या-21 की ओर से नोटिस श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
2. प्रस्तुत रिट याचिका प्रतिपक्षी संख्या-2, 3 और 4, दिनांक 13.01.2026 के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 116 (इसके बाद 'कोड' के रूप में संदर्भित) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न क्रमशः 03.11.2023 और 21.08.2021 को दायर की गई है।
3. रिट याचिका से उत्पन्न तथ्य यह है कि, प्रतिपक्षी संख्या-5 द्वारा ग्राम खेमाईपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित भूमिधारी भूमि के संबंध में संहिता की धारा 116 के तहत सह-जोत धारकों के बीच विभाजित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। उक्त वाद प्रतिपक्षी संख्या-4, दिनांक 21.08.2021 के आदेश द्वारा घोषित किया गया था। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने 18.09.2021 को आयुक्त,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाराणसी डिवीजन, वाराणसी के समक्ष प्रतिपक्षी संख्या-3 के समक्ष पहली अपील दायर की। हालाँकि, अपील के ज़ापन के कारण शीर्षक में, प्रावधान को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 333 के रूप में सही ढंग से उल्लिखित किया गया था और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'अधिनियम वर्ष 1950' के रूप में संदर्भित) की धारा 333 के तहत केस संख्या-1466 वर्ष 2021 के रूप में दर्ज किया गया था। प्रतिपक्षी संख्या-3 ने मामले को एक संशोधन के रूप में मानते हुए, इसे दिनांक 03.11.2023 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

4. प्रतिपक्षी संख्या-3 और 4 के आदेशों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेशों और डिक्री को चुनौती देते हुए राजस्व बोर्ड, प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष दूसरी अपील दायर की। प्रतिपक्षी संख्या-2 ने दिनांक 13.01.2026 के अपने आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि प्रतिपक्षी संख्या-3 का आदेश पुनरीक्षण में पारित किया गया था, इसलिए इसके खिलाफ कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं थी, और इसे गुण-दोष के आधार पर नहीं माना जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि मुकदमा वर्ष 2020 में संहिता की धारा 116 के तहत दायर किया गया था, इसलिए डिक्री के खिलाफ उपलब्ध वैधानिक उपाय संहिता की धारा 207 के तहत पहली अपील थी, जैसा कि तीसरी अनुसूची में प्रदान किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपील के ज़ापन में धारा 333 का गलत उल्लेख एक लिपिकीय त्रुटि थी और कार्यवाही की प्रकृति को बदल नहीं सकता था। केवल इस तरह के गलत विवरण के कारण, आयुक्त ने अपील को पुनरीक्षण के रूप में मानने का अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं किया।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि दूसरी अपील दायर करते समय, दूसरी अपील के ज़ापन में एक विशिष्ट आधार लिया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा जिस प्रावधान के तहत अपील दायर की गई थी, उसके गलत उल्लेख के कारण, इसे पंजीकृत किया गया था और एक पुनरीक्षण के रूप में निर्णय लिया गया था, जो केवल एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी। प्रतिपक्षी संख्या-2 के आदेश दिनांक



03.11.2023 को संहिता की धारा 207 के तहत प्रथम अपील में पारित आदेश के रूप में माना जाना चाहिए।

7. आगे यह तर्क दिया जाता है कि संहिता में केवल 234 धाराएं हैं; इसलिए, धारा 333 का संदर्भ पूर्व दृष्ट्या गलत था और इसे टाइपोग्राफिकल गलती के रूप में माना जाना चाहिए था।

8. अपील ज्ञापन के प्रार्थना खंड का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अपील के पूरे ज्ञापन को अपील के रूप में तैयार किया गया था, न कि पुनरीक्षण के रूप में। इसके अलावा, यदि संहिता की धारा 116 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, तो अधिनियम वर्ष 1950 के तहत कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं था। प्रतिपक्षी संख्या-2 ने स्पष्ट रूप से यह मानने में गलती की कि चूंकि दिनांक 03.11.2023 का आदेश एक संशोधन में पारित किया गया था, इसलिए, इस तरह के आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं करने में स्पष्ट रूप से गलती की है कि, याचिकाकर्ता की अपील पर पंजीकृत मामला संख्या-1466 वर्ष 2021, संहिता की धारा 207 के तहत था और कारण शीर्षक में धारा 333 का संदर्भ केवल एक अनजाने में त्रुटि थी। आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपील और पुनरीक्षण का निर्णय लेने वाला प्राधिकरण समान है, इसलिए दिनांक 03.11.2023 के आदेश को अपील के तहत एक आदेश के रूप में माना जाना चाहिए था, और दूसरी अपील का निर्णय प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए था।

10. याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क पर विवाद करते हुए स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार अधिनियम वर्ष 1950 की धारा 333 के तहत याचिकाकर्ता की अपील दर्ज हो जाने के बाद, अंतिम निर्णय से पहले कारण शीर्षक में संशोधन करना उसका कर्तव्य था, भले ही, पहली अपील और संशोधन का निर्णय लेने वाला प्राधिकरण समान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम वर्ष 1950 की धारा 333 के तहत दिनांक 03.11.2023 को अतिरिक्त आयुक्त का आदेश पारित किया गया है,



प्रतिपक्षी संख्या-2 को दूसरी अपील को खारिज करना उचित था, क्योंकि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

11. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

12. प्रस्तुत रिट याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश की प्रकृति को देखते हुए, मुझे प्रतिपक्षी संख्या-5 से 20 को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं लगता है।

13. यह विवाद में नहीं है कि 11.02.2016 को संहिता के लागू होने पर, अधिनियम वर्ष 1950 को निरस्त कर दिया गया था। चूंकि उस तारीख को कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, इसलिए जोत के विभाजन का मुकदमा केवल संहिता की धारा 116 के तहत दायर किया जा सकता था। दिनांक 21.08.2021 के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता के पास संहिता की धारा 207 के तहत पहली अपील का वैधानिक उपाय था, जैसा कि तीसरी अनुसूची में प्रदान किया गया है, प्रभाग के आयुक्त के समक्ष था। याचिकाकर्ता द्वारा कमिशनर, वाराणसी डिवीजन, वाराणसी के समक्ष दायर अपील का फ़र्द, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है, से पता चलता है कि कारण शीर्षक में, इसे डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), वाराणसी के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 333 के तहत अपील के रूप में संदर्भित किया गया है, जो 21.08.2021 को केस संख्या में पारित किया गया है। D202014700003939 वर्ष 2020 में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत। अपील के ज़ापन में दावा की गई राहत में यह भी कहा गया है कि, 'अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और दिनांक 21.08.2021 के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 207 के तहत पहली अपील को दायर की थी, जिसे अनजाने में धारा 333 के तहत वर्णित किया गया था। इसलिए, अधिनियम वर्ष 1950 की धारा 333 के तहत मामला दर्ज करना कार्यालय के कारण एक त्रुटि थी। उक्त त्रुटि कार्यवाही की प्रकृति को नहीं बदलती है।



15. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत, धारा 210 के तहत संशोधन के प्रावधान प्रदान किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

"210. अभिलेखों को बुलाने की शक्ति -(1) बोर्ड या आयुक्त किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा तय किए गए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के अभिलेखों के लिए तलब कर सकता है, जिसमें कोई अपील नहीं है, इस तरह के मुकदमे या कार्यवाही में पारित किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के रूप में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय प्रतीत होता है - (ए) कानून द्वारा इसमें निहित नहीं क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है; या (बी) इस तरह निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल; या (सी) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ ऐसे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्य किया; बोर्ड, या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

(2) यदि इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड के पास या आयुक्त के पास भेजा गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा उनके अन्य द्वारा कोई और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खुलासा - संदेह को दूर करने के लिए, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि जब इस धारा के तहत एक आवेदन या तो बोर्ड या आयुक्त के पास भेजा गया है, तो आवेदन को उसी आदेश के खिलाफ आवेदन दाखिल करने के उद्देश्य से वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी आवेदन पर संशोधन की मांग किए जाने वाले आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद या इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से, जो भी बाद में हो, विचार नहीं किया जाएगा।

16. धारा 210 के तहत उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने पर, यह पता चलता है कि एक संशोधन केवल उन आदेशों के खिलाफ बनाए रखने योग्य है जिनके खिलाफ कोई अपील नहीं है। मामले में संहिता की धारा 116 के तहत पारित दिनांक 21.08.2021 का आदेश



संहिता की धारा 207 के तहत अपील योग्य था। इस प्रकार, यदि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया कोई भी पुनरीक्षण सुनवाई योग्य नहीं था, और प्रतिपक्षी संख्या-3 के समक्ष दर्ज नहीं किया जा सकता था।

17. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, दिनांक 03.11.2023 के आदेश के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या-3 ने याचिकाकर्ता के दावे का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया है, उक्त आदेश को प्रतिपक्षी संख्या-3 के अधिकार क्षेत्र में पारित होने के लिए स्वीकार किया जा सकता है, केवल तभी जब यह पहली अपील में पारित किया गया हो। तदनुसार, दिनांक 03.11.2023 के आदेश, हालांकि पुनरीक्षण में पारित आदेश के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे इस तरह से कायम नहीं रखा जा सकता है।

18. इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित दिनांक 03.11.2023 का आदेश, हालांकि संशोधन में पारित आदेश के रूप में वर्णित किया गया है, सार रूप में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित एक आदेश था। प्रावधान का गलत विवरण केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी और प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता था।

19. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक वैधानिक प्रावधान का गलत उल्लेख अधिकार क्षेत्र के अधिकार को विभाजित नहीं करता है, यदि ऐसा क्षेत्राधिकार अन्यथा मौजूद है। इस प्रकार, दिनांक 03.11.2023 के आदेश को केवल अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित आदेश के रूप में बनाए रखा जा सकता है, न कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के रूप में। प्रतिपक्षी संख्या-2 ने दूसरी अपील को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज करने में गलती की।

20. परिणामस्वरूप, प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित दिनांक 13.01.2026 के आदेश को रद्द/अपास्त किया जाता है। रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

21. मामले को प्रतिपक्षी संख्या-2 को भेज दिया जाता है ताकि दूसरी अपील को उसकी मूल संख्या में बहाल किया जा सके और सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

मार्च 30, 2026

रंजीत साहू

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!